<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री बिमल सचदेवा, पी-7 / एफ-2, राजनगर, गाजियाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**055 / 14, 14.11.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री सुनील गोयल, विद्वान अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

प्रार्थी सर्वश्री बिमल सचदेवा, आर-7 / ई-2, राजनगर, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 14.11.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा Rims / Spokes / Hub / Steel Balls को भी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-I की निम्नानुसार प्रविष्टि संख्या-30 के अन्तर्गत Cycle / Bicyle / Tricycle / Cycle Rickshaws and parts से आच्छादित मानते हुए कर की दर के विनिश्चय करने का अनुरोध किया गया है :-

<u>प्रविष्टि संख्या-30</u>

Raw wool including animal hair; bicycles, tricycles, cycle rickshaws & parts components, accessories, tyres & tubes therof.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री सुनील गोयल, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि शासन की विज्ञप्ति संख्या-KA.NI.-2-1270 / XI-9 (1) / 2008-U.P.Act No.-5-2008-Order-(118) 2014 dated 26.09.2014 से Cycle / Bicyle / Tricycle / Cycle Rickshaws and parts को उक्त प्रविष्टि संख्या-30 से आच्छादित होने के कारण Rims / Spokes / Hub / Steel Balls (Sizes 1 / 4'', 3 /16'', 5/ 32'', & 1 / 8'') की करदेयता के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों का उल्लेख किया गया है :-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Maharashtra Vs. Bradma India Ltd. (140 STC 017), Hindustan Poles Corporation Vs. Commissioner of Central Excise Calcutta (145 STC 625) एवं पंजाब व हरियाण हाई कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह कहा गया है कि यदि कोई विशिष्ट प्रविष्टि किसी वस्तु को करमुक्त करती हो तो विभाग को यह अनुमति नहीं है कि उसे सामान्य प्रविष्टि के अन्तर्गत कर आरोपित करे।

2. U.P. State Vs. Jain Marble Home 1995 NTN 521 जिसके अन्तर्गत यदि दो प्रविष्टियॉं जिसमें एक विशिष्ट हो तथा दूसरी सामान्य होने की स्थिति में किसी विवाद की स्थिति में सम्बन्धित वस्तु को विशिष्ट प्रविष्टि के अन्तर्गत माना जायेगा।

3. Dunlop India Ltd. Vs. Union of India के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मत के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि-'' when an article has all standard, a reasonable claim to be classified under an enumerated item in the tariff Schedule, it will be against the very principal of

classification to deny it parentage and consign it to an orphanage of the residuary clause ''

4. Kerala International Ltd. vs. State of Kerala 81 STC 351 (Para-7) Deputy Commissioner Sales Tax vs. Food Industries 82 STC 298 के मामले में यह कहा गया है कि यदि कोई वस्तु किन्हीं दो प्रविष्टियों से आच्छादित होने की स्थिति में जो करदाता को Favour करे, वह मान्य होगी।

5. CCE vs. Wood Craft Products Limited 1995 ECR 417 (SC) एवं Bharat Forge and Press Industries vs. CCE 1990 ECR 1 (SC)

उपरोक्त के अलावा सुनवाई के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित दो न्यायिक दृष्टान्तों का भी सन्दर्भ दिया गया है :-

1. COMMISSIONER OF INCOME- TAX, WEST BENGAL v. VEGETABLE PRODUCTS LTD. Civil Appeal No. 497 of 1970, दिनांक 29.01.1973 जिसमें मुख्य रूप से व्यापारी के पक्ष में निम्न अभिमत दिया गया है :-

कर प्राविधान विशेष रूप से अर्थदण्ड के प्रकरण में किसी भाषा के अनेकार्थी (Ambiguous) अथवा अस्पष्टता / संदिग्धता की स्थिति में जो व्यापारी को Favour करे उसके अनुसार न्यायालय को अपना मत स्थिर करना चाहिए।

2. M/s. Mauri Yeast India Pvt. Ltd. M/s. Kothari Fermentation and Biochem Ltd. vs. State of U.P. and another 2008 NTN (Vol. 37)-57 जिसमें मुख्य रूप से व्यापारी के पक्ष में निम्न अभिमत दिया गया है :-

If there is a conflict between two entries one leading to an opinion that it comes within the purview of the tariff entry and another the residuary entry, the former should be preferred.

उपरोक्त तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में Rims / Spokes / Hub / Steel Balls पर उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I की प्रविष्टि संख्या-30 से आच्छादित होने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त सन्दर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-2352, दिनांक 04.12.2014 द्वारा उक्त वस्तुओं को शेड्यूल-I की प्रविष्टि संख्या-30 के अन्तर्गत स्वीकार्य योग्य होना नहीं माना गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि सर्वश्री दीवान इन्टरप्राइजेज बनाम CST U.P.-1996 NTN पेज-77 के महत्वपूर्ण प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साइकिल / बाइसाइकिल / ट्राई साइकिल / साइकिल रिक्शा के रिम को केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 (iv) (xiv) में वर्णित व्हील के अन्तर्गत माना गया है। उक्त निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश साइकिल उद्योग व्यापार संगठन द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया कि साइकिल के पहिये में लगने वाले स्पोक एवं हब को भी लोहा इस्पात के अन्तर्गत होने के कारण इन पर 4% की दर से कर लगाने के निर्देश दिये जाने की अपेक्षा की गयी। इस प्रार्थना-पत्र पर शासन ने न्याय विभाग से परामर्श के उपरान्त पत्र संख्या-क0सं0नि0-2-1275

....3

(ग्यारह)-98-(65) / 98, दिनांक 21.07.98 से यह मत व्यक्त किया गया है कि बाइसाकिल व्हील का भावार्थ साइकिल में लगने वाले दो पहियों मात्र से है । इन पहियों में रिम, एक्सल, हब व स्पोक लोह इस्पात के अन्तर्गत वर्णित व्हील के अन्तर्गत आते हैं । प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित अन्य पार्ट्स लोह व इस्पात की श्रेणी में नहीं आते हैं । उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि बाइसाइकिल, साइकिल, ट्राईसाइकिल, रिक्शा के रिम, हब व स्पोक आयरन स्टील की भॉति कर योग्य हैं। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित स्टील बॉल्स का प्रयोग साइकिल के अलावा विभिन्न मशानों एवं वाहनों आदि में होने कारण एवं वर्गीकृत न होने के कारण अवर्गीकृत वस्तु की भॉति करयोग्य होना चाहिए । व्यापारी द्वारा सन्दर्भित वस्तुएं-साइकिल, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, रिक्शा पार्ट्स के रूप में नहीं हैं। रिम, हब व स्पोक आयरन स्टील की भॉति करयोग्य है । सन्दर्भित वस्तुएं स्पेसिफिक इन्ट्री व्हील की भॉति करयोग्य हैं, जबकि साइकिल पार्ट्स एक जनरल इन्ट्री है, जिसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं । सन्दर्भित वस्तुएं व्हील के अन्तर्गत आती हैं न कि सामान्य इन्ट्री साइकिल पार्ट्स के अन्तर्गत ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि व्यापार कर अधिनियम, 1948 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत साइकिल, बाईसाइकिल, ट्राइसाइकिल, रिक्शा पार्ट्स एवं कम्पोनेन्ट से सम्बन्धित प्रविष्टि एक समान है । इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वश्री दीवान इन्टरप्राइजेज बनाम CST U.P.-1996 NTN पेज-77 में साइकिल / बाइसाइकिल / ट्राई साइकिल / साइकिल रिक्शा के रिम को केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 (iv) (xiv) में वर्णित व्हील के अन्तर्गत माना गया है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय तथा शासन के पत्र संख्या- क0सं0नि0-2-1275 (ग्यारह)-98-(65) / 98, दिनांक 21.07.98 से दिये गये मत का समवेत अध्ययन करने पर स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश साइकिल उद्योग व्यापार संगठन की मॉग पर ही शासन ने पत्र दिनांक 21.07.98 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त सन्दर्भित निर्णय सर्वश्री दीवान इन्टरप्राइजेज बनाम CST U.P.-1996 NTN पेज-77 के क्रम में जारी किया गया था । इस सम्बन्ध में व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रचलित विज्ञप्ति संख्या-306,
दिनांक 29.01.2001 पर भी विचार किया गया है जिसके अन्तर्गत ''Bicycles, tricycles, tandem cycles, rickshaws and cycle combinations and tyres, tubes components, parts and accessories thereof.'' पर 8% की दर से करदेयता का प्राविधान था । परन्तु शासन के उक्त पत्र तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में Rims / Spokes / Hub पर करदेयता आयरन / स्टील की भॉति केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 (iv) के अन्तर्गत आयरन / स्टील की भॉति प्रविष्टि संख्या-(xiv) के अनुसार wheel / wheel sets भी विशिष्ट प्रविष्टि से आच्छादित पायी गयी । सर्वश्री दीवान इन्टरप्राइजेज बनाम CST U.P.-1996 NTN के वाद मे ं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के निम्न इस प्रकरण में महत्वपूर्ण हैं :-

'' Applying the test of common parlance, a rim which is admittedly round and an essential part of the wheel of the cycle would come within the said entry (xiv) and being a declared good the same cannot be taxed at the rate in excess of 4% ''.

....4

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि रिम घोषित वस्तु होने के कारण इस पर 4% से अधिक की दर से कर आरोपित नहीं हो सकता। इसी आधार पर इसे साइकिल पार्ट होते हुए भी इस पर 4% की दर से कर निर्धारित करने का निर्णय दिया गया है। यह कहीं भी निर्णीत नहीं है कि रिम साइकिल पार्ट नहीं है। इस प्रकार रिम, स्पोक एवं हब को साइकिल पार्ट की प्रविष्टि से आच्छादित मानते हुए उक्त उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I की प्रविष्टि संख्या-30 के अन्तर्गत करमुक्त होना चाहिए। जहाँ तक Steel Balls पर करदेयता के बिन्दु पर विनिश्चय किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में Steel Balls का प्रयोग साइकिल के अतिरिक्त अन्य रूप में भी किया जा सकता है। इसका कोई मापदण्ड नहीं है कि Steel Balls केवल bicycles, tricycles एवं cycle में प्रयोग किये जा सकते हैं। Steel Balls को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II में न होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करयोग्य होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिन वस्तुओं को उक्त अनुसूची के अन्तर्गत होने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है, पूर्व में साइकिल / साइकिल पार्ट्स के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I की प्रविष्टि संख्या-30 की प्रविष्टि शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-19 पर उसी रूप में 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से कर देय थी, तथा उससे पूर्व व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या-306, दिनांक 29.01.2001 से 8% की दर से करयोग्य थी। उक्त व्यापार कर अधिनियम, 1948 के प्रचलित रहते हुए रिम पर कर की दर के विवाद के परिप्रेक्ष्य में रिम को साइकिल / साइकिल पार्ट्स की उक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत न मानते हुए केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 के क्रम संख्या-(iv) के आइटम नम्बर-(xiv) '' wheels, tyres, axles and wheel sets; '' के अन्तर्गत माना गया। तद्नुसार रिम पर साइकिल पार्ट्स की भाँति करदेयता न मानते हुए आयरन एण्ड स्टील की भाँति इस वस्तु पर निम्न दर से कर माना गया जो कि तत्समय प्रचलित केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-15 के अनुसार 4% से अधिक न होने की स्थिति में 4% की दर से करदेयता स्वीकार की गयी, तथा सर्वश्री दीवान इन्टरप्राइजेज बनाम CST U.P.-1996 AIR 2029 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय की विस्तृत विवेचना की, तथा साइकिल के व्हील के पार्ट्स के रूप में रिम के प्रयोग किये जाने की स्थिति पर भी विचार किया गया, तथा रिम को उपरोक्तानुसार केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 (iv) के अन्तर्गत आयरन एण्ड स्टील के आइटम नम्बर-(xiv) के अनुसार व्हील के अन्तर्गत सम्मिलित होना माना गया, तथा यह स्पष्ट किया गया कि रिम जो राउन्ड होती है, तथा व्हील का एक आवश्यक पार्ट है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के निम्न अंश का उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है :-

'' Taking into account the ordinary meaning of '' wheel '' in the manner in which it is

.....5

understood amongst persons dealing with the same, it is reasonable to hold that rim is included within the expression ‘‘ wheel ’’ in the above entry, particularly when there is no other competing specific entry for it. This being a plausible view to take a construction which favours the tax-payer must be preferred. The aforesaid reasoning of the Rajasthan High Court correctly interprets the said entry and we affirm the same. Applying the test of common parlance, a rim which is admittedly round and an essential part of the wheel of the cycle would come within the said entry (xiv) and being a declared good the same cannot be taxed at the rate in excess of 4% ’’.

अत: माननीय सर्वोच्च न्याालय के निर्णय में दिये गये Ratio पर विचार करते हुए प्रश्नगत मामले के तथ्यों के अनुरूप यह भी स्पष्ट है कि रिम के साथ-साथ स्पोक्स एवं हब भी व्हील का पार्ट है। वैसे भी रिम व्हील का Outer edge होता है जिस पर टायर को Mount किया जाता है।

इस सम्बन्ध में Wikipedia नामक encyclopedia के वेबसाइट पर दिये गये उक्त वस्तुओं की परिभाषा निम्नवत् है :-

Rim (wheel)

The rim is the ‘‘ outer edge of a wheel, holding the tyre’’.

SPOKE

(a): any of the small radiating bars inserted in the hub of a wheel to support the rim

(b): something resembling the spoke of a wheel

Hub

the central part of wheel, rotating on or with the axle, and from which the spokes radiate

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वश्री दीवान इन्टरप्राइजेज बनाम CST U.P.-1996 AIR 2029 के निर्णय के निम्न अंश उद्धरणीय है :-

‘‘ This being a plausible view to take a construction which favours the tax-payer must be preferred ’’.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय तथा शासन के पत्र संख्या- क0सं0नि0-2-1275 (ग्यारह)-98-(65) / 98, दिनांक 21.07.98 से दिये गये मत का समवेत अध्ययन करने पर स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश साइकिल उद्योग व्यापार संगठन की मॉग पर ही शासन ने पत्र दिनांक 21.07.98 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त सन्दर्भित निर्णय सर्वश्री दीवान इन्टरप्राइजेज बनाम CST U.P.-1996 NTN पेज-77 के क्रम में जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रचलित विज्ञप्ति संख्या-306, दिनांक 29.01.2001 पर भी विचार किया गया है जिसके अन्तर्गत ‘‘Bicycles, tricycles, tandem cycles, rickshaws and cycle combinations and tyres, tubes components, parts and accessories thereof.’’ पर 8% की दर से करदेयता का प्राविधान था। परन्तु शासन के उक्त पत्र तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के

क्रम में Rims / Spokes / Hub पर करदेयता आयरन / स्टील की भाँति केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 (iv) के अन्तर्गत आयरन / स्टील की भाँति प्रविष्टि संख्या-(xiv) के अनुसार wheel / wheel sets की विशिष्ट प्रविष्टि से आच्छादित पायी गयी । सर्वश्री दीवान इन्टरप्राइजेज बनाम CST U.P.-1996 NTN के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के निम्न अंश भी इस प्रकरण में महत्वपूर्ण हैं :-

'' Applying the test of common parlance, a rim which is admittedly round and an essential part of the wheel of the cycle would come within the said entry (xiv) and being a declared good the same cannot be taxed at the rate in excess of 4% ''.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि रिम घोषित वस्तु होने के कारण इस पर 4% से अधिक की दर से कर आरोपित नहीं हो सकता । इसी आधार पर इसे साइकिल पार्ट होते हुए भी इस पर 4% की दर से कर निर्धारित करने का निर्णय दिया गया है । यह कहीं भी निर्णीत नहीं है कि रिम साइकिल पार्ट नहीं है ।

प्रस्तुत प्रकरण में bicycles, tricycles एवं cycle rickshaws के Rims, Hub व Spokes पर करदेयता के बिन्दु का विनिश्चय किया जाना है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I की प्रविष्टि संख्या-30 जिसका विवरण निम्नवत् है :-

<u>प्रविष्टि संख्या-30</u>

Raw wool including animal hair; bicycles, tricycles, cycle rickshaws & parts components, accessories, tyres & tubes therof.

उक्त प्रविष्टि में अंकित वस्तुओं की श्रेणी के अवलोकन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री दीवान इन्टरप्राइजेज बनाम CST U.P.-1996 NTN के वाद मे दिये गये निर्णय के परिशीलन करने पर स्पष्ट है कि साइकिल के Rims, Spokes एवं Hub साइकिल पार्ट्स की श्रेणी में आते हैं, तथा उक्त प्रविष्टि संख्या-30 से आच्छादित होने के कारण करमुक्त होंगे ।

जहाँ तक Steel Balls पर करदेयता के बिन्दु पर विनिश्चय किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में Steel Balls का प्रयोग साइकिल के अतिरिक्त अन्य रूप में भी किया जा सकता है । इसका कोई मापदण्ड नहीं है कि Steel Balls केवल bicycles, tricycles एवं cycle में प्रयोग किये जा सकते हैं । Steel Balls उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II में न होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होगा ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उक्त निर्णय की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 11 मई, 2015 ह0 / 11.05.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।